पर कंटीले तारों को लगाने से देश में तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोकने में काफी सफलता मिली है;

(ख) देश की कुल कितनी लम्बी सीमा पर कंटीले तार लगाने का काम पूरा हो गया है; और

(ग) सरकार ने सीमा के शेष कितने क्षेत्र में कंटीले तार लगाने की योजना को मंजूरी दी है और शेष सीमा पर कंटीले तार कब तक लगाए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) देश की सीमा की कुल लम्बाई जिस पर कंटीली तार लगाने का कार्य पूरा किया गया है, निम्न प्रकार से है :—

भारत पाकिस्तान सीमा :

पंजाब	356.31 कि० मी०
राजस्थान	202.00 कि० मी०

(ग) **भारत-बंगलादेश सीमा :**

असम	36.57 कि० मी०
मेघालय	----

भारत-पाकिस्तान सीमा :

पंजाब	77.30 कि० मी०
राजस्थान	129.855 कि० मी०

भारत बंगलादेश सीमा :

असम	165.43 कि०मी०
मेघालय	135.00 कि० मी०

इस समय केवल संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य किया जा रहा है।

Fencing of Indo-Pak border

262. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total length of Indo-Pak border which has been fully fenced by barbed wire to check infiltration;

(b) whether Government have recently cleared a proposal for fencing further 91 km. border;

(c) the total length of the border yet to be fenced; and

(d) whether the entire "Indo-Pak border is proposed to be fenced ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) *Indo-Pak border:*

Punjab	:	356.31 Kms.
Rajasthan	:	202.00 Kms.

(b) No, Sir.

(c)

Punjab	:	77.30 Kms.
Rajasthan	:	129.8 55 Kms.

(d) Presently only sensitive stretches are being taken up for fencing.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादियों का आतंक

263. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई सूचना प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादियों का आंतक बढ़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत ब्यौरा मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) सरकार को, मध्य प्रदेश,

विशेष रूप से बस्तर जिले में नक्सलवादियों की बढ़ी हुई गतिविधियों के बारे में जानकारी है, जिस के बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार चिन्तित है। 3 अगस्त, 1991 को गृह मंत्री ने एक बैठक की जिसमें मध्य प्रदेश सहित प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई कि राज्य सरकारें कार्रवाई योजना तैयार करेंगी जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और समस्या से निपटने के लिए आवश्यक विकास उपाय भी निहित होंगे। चूंकि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं, अतः यह महसूस किया गया कि इन चार राज्यों के नक्सलवाद विरोधी उपायों को समन्वित किया जाए। इस दिशा में चार राज्यों की सरकारी स्तर की अनुवर्ती बैठकें की गई और पुलिस कार्रवाई और विश्वास और प्रशासनिक उपायों का समन्वित करने का निर्णय लिया गया।

Loss of revenue due to redaction in excise duty on beer in Delhi

264. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether reduction in excise duty on chilled beer in Delhi is likely to result in loss of revenue to the Delhi Administration; if so, what would be the amount of such loss alongwith the year-wise amount of revenue earned on account of sale of beer and other liquors during the years 1990-91 and 1991-92 respectively ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The Delhi Administration has reported that there is no proposal under its consideration for reduction in excise duty on chilled beer in Delhi. The revenue generated from the sale of beer and other liquors during 1990-91 and 1991-92 was Rs. 136.10 crores and Rs. 163.53 crores respectively.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में हिन्दी का प्रयोग

265. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ये निदेश जारी किए गए थे कि सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े उपक्रम अपना विधि से संबंधित समस्त कार्य हिन्दी में करने की व्यवस्था स्वयं करेंगे; यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) समस्त कार्य हिन्दी में करने के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खण्ड पर दिनांक 30 दिसम्बर, 1988 को जारी राष्ट्रपति के निदेशों में उपक्रमों के विधिक साहित्य के अनुवाद के संबंध में ही चर्चा की गई थी, तथा यह कहा गया था कि विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिए है। बैंकों, बीमा कम्पनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग बड़े उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत है।

कर्नाटक में दंगे

266. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलगाम, कर्नाटक में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों से जान और माल का कितना नुकसान हुआ;